

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा,  
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला न्यायाधीश,  
टिहरी गढवाल।

न्याय अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक: 22 अगस्त, 2017

विषय: श्री लाखीराम नौटियाल, अधिवक्ता/नोटरी, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढवाल के नोटरी प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-92/2017 प्रशासनिक नई टिहरी दिनांक 07.02.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री लाखीराम नौटियाल, अधिवक्ता/ नोटरी, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढवाल के नोटरी प्रमाण पत्र सं0-21(08)/2012 का नवीनीकरण दिनांक 16.03.2017 से अग्रिम पांच वर्षों के लिए कर दिया गया है। नवीनीकृत नोटरी प्रमाण-पत्र सम्बन्धित नोटरी को हस्तगत किये जाने हेतु संलग्न है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)  
प्रमुख सचिव

संख्या : 06 /नो0ई0/XXXVI(1)/2017-13 नो0ई0/2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
3. श्री लाखीराम नौटियाल, नोटरी/अधिवक्ता, सेक्टर-7डी, बी-6, स्टेडियम रोड, बौराड़ी, नई टिहरी।
4. ✓गार्ड फाईल/एन0आई0सी।

आज्ञा से,

(महेश चन्द्र कौशिवा)  
अपर सचिव